"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 184] रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 जुलाई 2002—श्रावण 2, शक 1924

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2002

अधिसूचना

क्रमांक 674/परिवहन/2002.—चूंकि राज्य सरकार ने मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का संख्या 4) की धारा 68 (घ) की उपधारा 3 के अधीन स्कीम क्रमांक 13, 14, 23, 26, 32एम, 41, 42एम, 74, का प्रकाशन उसमें विनिर्दिष्ट किये गये मांगों के संबंध में राज्य सड़क परिवहन सेवा की व्यवस्था करने हेतु किया था, और चूंकि राज्य सरकार औद्योगीकरण तथा नगरीकरण के कारण सेवाओं में अतिरिक्त मांग को ध्यान में रखते हुए लोकहित में यह अवश्यक समझती है कि प्राइवेट आपरेटरों को उक्त स्कीम के अंतर्गत कतिपय मार्गों पर प्रक्रम वाहनों को किराये पर चलाने हेतु अनुज्ञात किया जाये और उस प्रयोजन के लिये उपरोक्त दर्शाई गई स्कीम में दर्शाई गई रीति से उपांतरित करना चाहती है.

उपरोक्त स्कीम में आने वाले मार्गों की जानकारी इस विभाग की अधिसूचना क्र.—430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444/परिवहन/2002, दिनांक 4-5-2002 को छत्तीसगढ़ असाधारण राजपत्र में एवं दिनांक 6-6-2002 को स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित कर आम जनता को दी गई थी एवं ऐसे व्यक्ति जिसके कि प्रभावित होने की संभावना है अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिवस के अंदर आपत्तियां आमंत्रित की गई थी.

आपत्तिकर्त्ताओं को, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उनके द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर प्रमुख सचिव परिवहन विभाग द्वारा दिनांक 31-7-2002 को प्रात: 11 बजे मंत्रालय डी. के. एस. भवन के कक्ष क्रमांक 209 में सुनवाई की जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, विशेष सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.